[श्री शिवचन्द्र झा]

उनके मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन हो, इसकी आपको अवश्य व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा आपने किया तो काश्मीर के वातावरण में यह जो विधेयक है यह ज्यादा मीनिंगफुल साबित होगा।

वहां पर वीवर्ज का बहुत शोषण हुआ है। यह पुरानी इतिहास की बात है। बुनकरों को अपनी तनख्वाह का या अपनी कमाई का दो तिहाई हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था, कर के रूप में उनसे वह ले लिया जाता था। यह जो शोषण का सिलसिला है वह अभी भी जारी है। इस तरह की चीजों की तरफ आपका खास ध्यान जाना चाहिए।

आप इनिशिएटिव लें और एक कदम आगे बढ़ें और उनका पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में हो, इसकी व्यवस्था करें। साथ ही साथ काश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान के मातहत है, उस पर भी इसको आप लागू करें।

श्री भागवत झा आजाद : शास्त्री जी के इस विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि जो कानून पारित किये जाएं उनको दियानतदारी और ईमानदारी के साथ लागू किया जाए। कानून का उद्देश्य यह है कि जो मजदूर काम करते हैं विभिन्न पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में उनकी सेवा की शर्तें, उनके अधिकार और जो सुविधायें उनको मिलनी चाहिएं, वे सुरक्षित की जाएं। साथ ही साथ उद्योगपति या एम्प्लायर्ज जो उनका शोषण करना चाहते हैं उससे उनकी रक्षा की जाए और उनको उनका शोषण न करने दिया जाए। शास्त्री जी ने इस काशन के साथ जो इस बिल का समर्थन किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

श्री मघोक ने जो प्रश्न उठाया है, वह इस विधेयक की परिधि के बाहर है। यही प्रश्न श्री शिवचन्द्र झा ने भी उठाया है। संविधान की धारा 370 के अनुसार तत्काल इस तरह के विधेयकों को वहां लागू नहीं किया जा सकता है। इसके लिये वहां की सरकार से बातचीत करनी होती है, उसकी रजामन्दी प्राप्त करनी होती है। इस वास्ते समय समय पर इस तरह के कानून हम पास करते हैं और उनको वहां लागू करते हैं। यही देरी का कारण है। इसके बारे में श्री लखन लाल कपूर ने भी कहा है।

श्री शिवचन्द्र झा ने एक और प्रश्न किया हैं। उन्होंने पूछा है कि जो भाग तथाकथित आजाद काश्मीर का है और जो पाकिस्तान के अन्तर्गत है उस पर यह लागू होगा या नहीं। हम उस भाग को पाकिस्तान का अंग मानते ही नहीं है। वह हमारा अंग है, हमारे देश का अंग है। यह कानून वहां पर भी लागू होगा। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं।

माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। मैं समझता हूं कि वे इसको सर्वसम्मति से पास करेंगे।

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

16.11 hrs.

COAL MINES (CONSERVATION AND SAFETY) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS, AND MINES AND METALS (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY) : Mr. Speaker, Sir, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Coal Mines (Conservation and Safety) Act, 1952, be taken into consideration."

The Government has been recovering excise duty at the rate of 75 paise per tonne for development of coking coal mines. Unfortuna-

tely, there is no provision in the Act for drawing this money and spending it for this purpose. To meet this, the Bill has been brought before this House.

MR. SPEAKER : Motion Moved :

"That the Bill further to amend the Coal Mines (Conservation and Safety) Act, 1952, be taken into consideration."

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के उद्देश्य से मैं सहमत हूं। इसमें कोलमाइन्ज में सेफ्टी, कनजरवेशन और उनकी डेवेलपमेंट के बारे में व्यवस्था की गई है। परन्तु अब तक कोल बोर्ड ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया है। कोल बोर्ड धांधली और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा है। जितना बड़ा भ्रष्टाचार, धांधली और करप्शन इस समय कोल बोर्ड में है, उस परिणाम में वह अन्यत्र नहीं मिलेगी।

इस बोर्ड को कोलमाइन्ज में सेफ्टी और कनजरवेशन के दो काम दिये गये हैं, लेकिन उसमें यह बोर्ड बिल्कुल असफल रहा है। बोर्ड के पास जो पैसा जाता है, वह अधिकांशतः एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है। उसका कितना अंश सेफ्टी और कनजरवेशन पर खर्च होता है, यह तो आन दि स्पाट स्थिति को देखने से पता लग सकता है। बोर्ड की एक आर्मी आफ आफिसर्ज खड़ी हुई है और सब पैसा उस पर खर्च हो जाता है।

माइन्ज में काम करने वाले मजदूरों की सेफ्टी खास तौर से होनी चाहिये। लेकिन चूंकि आफिसर्ज कोयला-खदानों के मालिकों से मिले हुए हैं, इसलिये सेफ्टी के रूल्ज में से बहुत कम का पालन किया जाता है। परिणाम यह है कि मजदूर मर जाता है, लेकिन कोई उसकी खबर करने वाला नहीं है। उसके मरने के नाना प्रकार के कारण देकर मालिक लोग मामले को उड़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको कम्पेन्सेशन न देना पड़े। कम्पेन्सेशन का कुछ रुपया उन बेचारों को दे भी दिया जाये, लेकिन सरकार उन मजदूरों के जीवन के साथ, और उनके परिवारों के साथ, खिलवाड़ कर रही है। आज इस देश में कोयला-खदानों में काम करने वाले मजदूरों की तुलना में कुत्तों और बिल्लियों की सुरक्षा की ज्यादा व्यवस्था है। मुझे कोयला-खदानों में जाने का मौका मिला है। वहां पर ऐसी स्थिति है, जिसमें कोई भी भला आदमी या अच्छा स्वास्थ्य रखने वाला आदमी काम नहीं कर सकेगा। लेकिन डिपार्टमेंट की ओर से उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

केवल मजदूरों की सेफ्टी का सवाल ही नहीं है, बल्कि नगर और उसके निवासियों की सेफ्टी का भी सवाल है। सरकार की ओर से यह शर्त लगाई गई है कि खदान में से कोयला निकाल कर उसमें रेता भरा जाये। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि झरिया और धनबाद की कितनी कोयला खदानों में रेता भरा गया है। केवल कुछ खदान-मालिक ही रेता भरते हैं। इसका परिणाम यह है कि जगह जगह भूमि धंसती जा रही है, यहां तक कि नगर को भी खतरा हो गया है। खदानों के कारण आग भी लगती है। झरिया के चारों तरफ नीचे आग लगी हुई है; हर जगह धुंआ निकलता है। झरिया नगर के नीचे भी कोयला है। उसको भी खोदा जा रहा है। इससे स्वयं नगर को खतरा उत्पन्न हो गया है। कोयला निकालने के साथ-साथ जमीन के ऊपर के खेतों, मकानों आदि की सुरक्षा की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन बोर्ड ने इस बारे में कुछ नहीं किया है। अधिकांश रुपया गवर्नमेंट आफिशलज पर खर्च होता रहा है।

कनजरवेशन के बारे में भी जो रिपोर्ट्स और सिफारिशें दी गई हैं, सरकार ने उनको कार्यान्वित नहीं किया है।

कोयले की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

सरकार ने यह शर्त लगाई हुई है कि अमुक मात्रा से ज्यादा कोयला नहीं निकाला जा सकता है। इसलिये कोयला कम निकाला जाता है, जिससे मजदूरी का खर्च बढ़ जाता है और इस प्रकार कोयले के दाम भी बढ़ जाते हैं। कोयले की मांग अब तक सबसे ज्यादा रेल में थी। अब इन्डस्ट्री में भी शुरू हो गई। लेकिन रेल इंजिन डिजेल के बनने शुरू हो गये। डिजेल इंजन बनते चले जा रहे हैं। कोयले की मांग कम होती चली जायगी। हर जगह पावर का इस्तेमाल होता चला जा रहा है। तो कोयले की खपत का एक प्राबलम बन कर सामने खड़ा होगा। गवर्नमेंट ने क्या कभी सोचा है कि इतनी बड़ी अपार धनराशि जो कोयले के रूप में है वह अगर कल बिजली का और डिजेल आयल का इस्तेमाल हुआ तो कोयले की खपत कैसे आप करेंगे? अध्यक्ष महोदय, कई बार सदन में बात आई है इस कोयले की खपत के सवाल को लेकर। शहरों में भी गैस आती चली जा रही। ... (**व्यवधान**) .. देहात में खाद इस समय सबसे प्रमुख चीज है और खाद बहुत इम्पार्टेंट चीज है। बैल और गाय का गोबर आज देहातों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, रोटी बनाने के काम में उसे लाया जा रहा है। जैसा कि कहा गया था देहात में कोयले का इस्तेमाल अगर शुरू कीजिए तो उससे मजदूरों को काम भी मिलेगा, कोयले का सदुपयोग भी होगा और खेतों का उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन कोल बोर्ड की तरफ से इसके लिये कोई कदम नहीं उठाया गया।

जहां तक डेवलपमेंट आफ कोल माइन्स का सम्बन्ध है आपने स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स में कहा है :

Under the existing Coal Mines (Conservation and Safety) Act, 1952, the Coal Board can exercise two functions, *viz.*, 'Conservation' and 'safety'.

The development of Coal Mines, especially those producing coking coal, has assumed importance in view of the scarce resources on the one hand and growing needs of the metallurgical industry on the other.

कोकिंग कोल की इन्होंने डेवलपमेंट के लिये खास बात बताई, मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कोकिंग कोल की मांग है लेकिन गवर्नमेंट की ओर से क्या किया है कि और जगह तो शोषण होता ही है, आप कोल माइन्स में चले जाइए और देख लीजिये। गरीब चिल्ला रहे हैं और यह कहते हैं कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न कर रहे हैं, इसमें गरीबों को शोषित लोगों को उठाया जायेगा। बड़े बड़े लोगों के साथ जो कोल माइन्स के बड़े बड़े मालिक हैं, गवर्नमेंट की सांठ गांठ है। छोटे छोटे कोयला खदान के मालिक हैं वह भी कोक बना रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट उनका कोक खरीदता नहीं। उनकी कोकिंग नहीं खरीदी जाती। उन पर शर्त लगी है कि 3 हजार टन से ऊपर जो प्रोड्यूस करते हैं उनके यहां से खरीदा जायगा। छोटे छोटे लोगों का इस तरह से शोषण हो रहा है। वह सस्ते दामों में दे रहे हैं और परिणाम यह है कि इस कोल से कहीं ईंटें पक रही हैं, कहीं कुछ और ऐसा ही काम हो रहा है और फिजूल खर्चा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कोकिंग कोल की मांग है तो आपने टेंडर ओपेन क्यों नहीं किया कि सबसे लिया जाये? हालत यह है कि छोटी खदान वाले मर रहे हैं और बड़ी बड़ी खदान वालों के साथ आपने समझौता कर रखा है, रेलवे में भी स्टैंडर्ड कोल लेने की बात है लेकिन वह उनसे मिल जाते हैं और भ्रष्टाचार तथा रिश्वत के जरिए सारा गन्दा कोल भर दिया जाता है जिसके कारण इंजन की लाइफ कम हो जाती है। इसके लिये आपसे मेरा यह कहना है कि जो कोल आपके पास है उसकी इन्सपेक्शन यहां कराइए मोगलसराय में या और जगह जगह बैठा दीजिए इन्सपेक्शन करने वालों को जो यह देखें कि स्टैंडर्ड कोल है

या नहीं, क्वालिटी के दृष्टिकोण से और दूसरे दृष्टिकोण से भी। यह चीज होनी चाहिए।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं। आप ने साइंटिफिक रिसर्च का भी आइटम इसमें रखा है। मैं इस चीज का स्वागत करता हूं। डेवलपमेंट में आपने इस चीज को रखा है लेकिन जितनी खदानें हैं उनका नक्शा बनाने के लिये हर खदान मालिक का भी अपना एक आदमी है। वह नक्शा बनाता है। आपने शर्त लगाई है कि एक मालिक की अगर बराबर-बराबर में तीन चार खानें हैं तो भी तीन चार आफिसर रखेगा। वही चीज आपके यहां हैं। आपका ट्रेनिंग सेंटर है उस ट्रेनिंग सेंटर पर डेवलपमेंट के ऊपर जितनी आपकी रिसर्च है वह सब कुछ काम चलता है। लेकिन खदान मालिक के पास तक वह आपकी-ट्रेनिंग नहीं पहुंच पाती है जिसके कारण से वह अपने अपने आदमी अपने यहां रख लेते हैं। यह काम चल रहा है उन लोगों का।

एक चीज और खास तौर से कहना चाहता हूं कि मजदूरों की सेफ्टी की भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। वेज बोर्ड ने कोयला खदान के मजदूरों के लिये भी कुछ सिफारिश की है···

MR. SPEAKER : The Bill seeks to amend the Coal Mines (Conservation and Safety) Act to include 'development of coal mines'.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : यह डेवलपमेंट में आता है। सेफ्टी इन कोल माइन्स-सेफ्टी किस बात की करेंगे ? ····

अध्यक्ष महोदय : रेलीवेंट तो बना लिया जाता है ····

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है, मैं खींचतान नहीं कर रहा हूं। यह हो सकता है कि मेरी बुद्धि में न आ रहा हो लेकिन इसमें यह शब्द हैं—सेफ्टी इन कोल माइन्स। तो मजदूरों की सुरक्षा भी इसमें आती है। जो काम करने वाले हैं कोल माइन्स में उन मजदूरों की भी सेफ्टी का सवाल है। तो मैं इसकी प्रार्थना करता हूं कि उसमें काम करने वाले मजदूरों की सेफ्टी भी आप इसमें शामिल करें। मजदूरों को वेज बोर्ड के हिसाब से तनख्वाह मिले, और सारी सुविधाएं मिलें, मेडिकल फैसिलिटी मिले, सब चीजों की सेफ्टी इसमें होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप बिल के टाइटिल को ले बैठे। अमेंडमेंट को नहीं ले रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : डेवलपमेंट का इसमें है। सिर्फ कोकिंग कोल का मैं खास तौर से जिक्र कर रहा हूं। इसमें बहुत बड़ा खतरा है। अब तक जो इन्होंने काम किया है उसको देखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी धांधली और रिश्वत चल रही है और इनके पास रुपया कितना आया। 75 पैसा पर टन सन 1968 से लेंगे। दो करोड़ के करीब रुपया आयगा। ड्यूटी 17 करोड़ के करीब आने को है। दो करोड़ का खर्चा इनको इस रूप में करना है। कोकिंग कोल की वहां प्रमुख समस्या है। उसी में धांधली है। उसी की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं कि इस बिल को इस प्रकार का काम्प्रीहेंसिव बनाना चाहिये जिससे कि आपका यह कोल बोर्ड इस प्रकार की धांधली न कर सके और सेफ्टी, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट का काम सही रूप से हो सके, इस ओर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस बिल की भावना का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि गवर्नमेंट ने इस बिल को लाकर इसे कम्प्लीट बनाया।

MR. SPEAKER : Now, Shri P. G. Sen. His amendment has not been received in time. But he can speak on the general discussion or in the third reading, as he pleases.

SHRI P. G. SEN (Purnea) : If you would permit, I shall speak on the general discussion.

[श्री पी० जी० सेन]

यह बिल लाया गया, बिल तो ठीक है। लेकिन इसे तो बहुत पहले ही लाना चाहिए था। हम लोग देखते हैं जैसा कि अभी त्यागी जी ने कहा, चारों तरफ धुवां निकलता है, हम लोग धनबाद होकर आते हैं तो उसको देख कर ऐसा लगता है कि चारों तरफ आग लगी हो .... (**व्यवधान**) मैं यह कह रहा हूं कि कोल माइन्स का जहां तक सवाल है, अच्छा अच्छा कोयला जब निकल जाता है फर्स्ट ग्रेड का तो यह कांट्रैक्टर लोग क्या क्या काम करते हैं, त्यागी जी ने थोड़ा सा खाका खींचने की कोशिश की मगर हम लोग जो देखते हैं वह उसका खाका कोई अच्छा नहीं है। इसके अलावा भी अभी थोड़ी देर पहले इस सदन में लेबर लाज को पास किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि कोलियरीज में जितने यह लेबर लाज हैं और जितने जजमेंट्स हुये हैं, कोलियरीज के अन्दर जो लोग मरे हैं, उन लोगों को कम्पेन्सेशन वगैरह के जजमेंट हैं, धूरी कोलियरी का जजमेंट निकला है, आज तक उसका क्या इम्प्लीमेंटशन हो रहा है, यह हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। कोई बात मालूम नहीं है। धूरी में कितना बड़ा एक्सीडेन्ट हुआ बहुत से लोग मर गये। श्री एस० के० दास साहब का उसके बारे में जजमेंट आया, लेकिन उस पर क्या कार्यवाही हुई, हमें कुछ भी खबर नहीं है।

गवर्नमेंट कोल बोर्ड के हाथ में ज्यादा रुपया देने जा रही है, वह ठीक है, कन्जर्वेशन के लिये दिया जा रहा है। अभी त्यागी जी ने बतलाया कि अब रेलवे वाले भी आपका कोल लेना कम कर देंगे क्योंकि उनके यहां डीजलाइजेशन का और इलैक्ट्रीफिकेशन का काम जोरों से हो रहा है। ऐसी हालत में हमारे कोयले की क्या स्थिति होगी ? हमने कुछ दिन पहले यहां पर कहा था कि हमारे यहां गावों में आज गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसको सोना-खाद कहा जाता है, उसको जलाकर समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास जलाने के लिये और कोई चीज नहीं है। आपके पास इस समय काफी कोयला है, किस्म-किस्म का कोयला निकल रहा है, अगर हम अपने लो-ग्रेड कोयले को स्टेशन-स्टेशन पर पहुंचा दें, तो वे लोग इसका उपयोग जलाने के लिये कर सकते हैं। और हमारी खाद का उपयोग खेतों में किया जा सकता है। आज हम करोड़ों रुपया खर्च करके फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज खोलने की योजना बना रहे हैं, प्राइवेट सैक्टर को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, लेकिन अगर चीप कोयले का डाइवर्शन उस तरफ हो जाय, तो हमारी यह सोना खाद जलने से बच सकती है और उसका सही उपयोग हो सकता है।

इसके अलावा हमारे यहां रूरल हाउसिंग की भी बड़ी भारी प्राबलम है। आप दिल्ली से निकलिये, कलकत्ते तक हर जगह गांव-गांव में झोपड़ियां दिखलाई देंगी। लेकिन अगर आप इन कोयले को स्टेशनों तक पहुंचा दें तो वे लोग इसको वहां से उठा लेंगे और अपने मकानों के लिये स्वयं ईंटें पका लेंगे तथा इस तरह से उनकी मकानों की समस्या हल हो जायगी। आज हरिजन उत्थान के लिये हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्यायें हल नहीं हो रही है, उनके पास मकान तक नहीं हैं। बांस और फूस तक भी उनको नहीं मिल रहा है, बांस और फूस का मकान बनाने में भी दो-तीन हजार रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन अगर उनको यह कोयला फ्री-आफ-कास्ट मिल जाये, तो वे ईंटा पका कर मकान बना सकते हैं और उनकी हाउसिंग की समस्या हल हो सकती है। आज स्थिति इस प्रकार की पैदा हो गई है कि बिना इस प्रकार का कदम उठाये, दूसरा कोई चारा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस काम को कोल बोर्ड को सुपुर्द कर दीजिये ताकि वह इस प्रकार का कोयला इन लोगों को पहुंचा सके। इससे दो लाभ होगा—उन लोगों को जलावन

भी मिल जायेगा और उनका घर भी बन जायेगा।

16-31 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the chair*]

अब आपके यहां नये नये प्रकार का कोयला निकलना शुरू हो गया है। आपने खदानों को काफी गहरा खोदना शुरू कर दिया है इसमें वर्कर्ज की क्या सेफ्टी रहेगी—इसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है—ये सारी चीजें हमारे दिमागों को पस्त किये हुये हैं। एन० सी० डी० सी० को वर्किंग के बारे में भी हमें कुछ भी मालूम नहीं है। जहां बालू स्टाइंग होता है, वहां रोप-वे (Rope-way) से बालू चला जा रहा है, बकेट में छेद होता है, माल गिरता जाता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कोई कुछ कह भी नहीं सकता है, क्योंकि वह एरिया ऐसा है, जहां के लोग डर के मारे थर-थर करते हैं। इन्सपेक्टर लोग क्या करें उनसे जो चाहे लिखवा लो। इसलिये इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

मैंने यूटीलाइजेशन आफ कोल के बारे में जो अमेंडमेंट दो है, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उसको स्वीकार कर लें, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत सुविधा हो जायेगी।

एक बात मुझे और निवेदन करनी है। हमारे यहां बहुत बढ़िया किस्म का कोयला निकलता है, लेकिन अभी हाल में मैंने पढ़ा कि जर्मनी ने हमारे कोयले को लेने से इन्कार कर दिया—ऐसा क्यों हुआ, इसको क्या वजह है? उन्होंने कोयले का जो स्पेसिमेन आपको दिया, आप उस किस्म का कोयला उनको सप्लाई नहीं कर सके—ऐसे ऐसे शगूफे सामने आते हैं तो हमको बहुत ताज्जुब होता है। आप ने इस काम का कान्ट्रेक्ट किसको दिया है। वहां से आदमी यहां आकर कहता है कि इस कोयले से हमारा काम नहीं चलेगा, हम इसको नहीं लेंगे, इसके लिये कौन जिम्मेदार है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दें।

अन्त में—जो बातें मैंने यहां पर रखी हैं, खास कर लो-ग्रेड कोयले के बारे में—इस काम को आप कोल बोर्ड को दें और वे एक फेसेड प्रोग्राम बना कर स्टेशन-स्टेशन पर कोयला पहुंचायें ताकि हमारी हाउसिंग स्कीम इम्प्लीमेंट हो सकें और हमारे लोग आगे बढ़ सकें।

SHRI BEDABRATA BARUA (Kaliabor). Coal has been a westing asset like any mineral and naturally the function of conservation of coal should get priority even over development, but the purpose of the Bill is that the development of the coal resources of the country along with sefety and conservation, should be given the highest priority, and that the Coal Board should take over the function of development as well. This is a step in the right direction.

Assuming that what has been done so far is not absolutely negligible, we must realise that the coal resources in the country today are being wasted by private mine owners and nothing that the Coal Board has been doing nor the steps that have been taken for conservation and development on the right lines, have made any impression upon the mine owner. After all, the mine owners would naturally like to develop minerals, not in the sense of scientifically developing or mining in a scientific manner so that the coal is taken out in such a way as to conserve the least bit of available coal, but in the sense of maximising their profit, they take a lease and mine out the coal that is the cheapest to mine, and then because the over-all cost would go up very much higher if it is mined deeper, the top coal is taken out first and water is allowed to go into the mine and the coal is thus wasted and then they go out for other leases, and the Government machinery, as it is constituted, may be quite willing to give them another lease. In this way what has happened is that the great reserve of coal which is a national asset is being very quickly eroded and we face a situation where we may not have enough coal of good quality. In fact, the best quality with low ash content has already been wasted

[Shri Bedabrata Barua]

out, and it is quite likely that the coal that we will require would remain there to be mined at high cost and then it would be the function of the public sector to mine it and it would be maligned for not mining coal economically after the cream has been taken away by private enterprise.

In this situation, neither the function of conservation nor the function of safety, nor the function of development can really be of interest to a body of persons who are mainly interested in taking out the best portion of coal and then leaving it to the nation, to the community, to do as best as possible with the rest. Coal has been developed in the country in a haphazard manner without attention to technical details and I think that they are even chary of appointing good engineers in spite of all the regulations of the Indian Bureau of Mines. I do not think even the Indian Bureau of Mines has any authority over the coal industry. Whether it is inspection or anything else, whether it is the Coal Board or any other authority, so far as these mine owners are concerned, it would hardly matter to them so long as they get their profits. Therefore, I would say that this is a waste of asset, national property, which we cannot get back once it is wasted out. It is not a question of creating demand for coal. After all, even if the Railways use it, we know what type of crisis the Railways had to face because the mine owners wanted to raise the price of coal.

Therefore, I would suggest that first of all a comprehensive programme should be drawn up to carry out research for proper conservation and mining of coal. That research, I have no doubt, will not be done by the private industry. In order to conserve the entire area of the coal belt which is of very great national importance, it should be done in a very thorough and correct manner. Neither would he do it, nor would he conserve the national resources, nor would he appoint qualified technical personnel to conserve them in national interest. We have got unemployed engineers. It appears the nation has no alternative if it really wants safety in mines and conservation of the coal reserves and their development to meet our requirements over the next 30-40 years. We have to see how it is to be related to the hydel and other powers that we are going to develop and how fuel will be made available for the coming generations. I have no doubt that Government will build this type of control by coal board over people who are keen on profit. I do not blame them for being so. But it is not like agriculture so that you can have a new crop every year. The existing reserves may be wasted away in a few decades. So, we must break up the vested interests. By joint functioning of the coal board with mine owners things will be well regulated. The coal board will be the proper agency for the type of regulation that we expect. It becomes a sort of collective functioning. If it goes on for a long time there is a lot of mutual understanding. It may not be to the best interest of the country. Therefore, I suggest that the Government should make a venture in this line and take over, not the uneconomic coal mines where there is no prospect of profit. If Government can take over petroleum and iron steel where the gestation period is long and a lot of investment has to be made, why cannot they venture in this field. So much was said about the cost structure, profits, and prices. The main demand comes from the Railways which are a national enterprise. So why is it not possible to take over at least a part of this industry? I know difficulties are there. We can develop petroleum in the Central Sector.

SHRI LOBO PRABHU : There is already a public sector in coal.

SHRI BEDABRATA BARUA : I know it. As I said there should be conservation and development. The reservation that we have made should be extended over larger fields so that we can get returns on what we have invested. Wastage should not be allowed and conservation should be there. I suggest a sort of extension of the principle of nationalisation in this industry.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : One has to be grateful to the Ministry for affording this opportunity to discuss the coal situation. Strictly speaking, this Bill was not at all necessary. The existing Act provides for coal safety and conservation. Conservation includes development, if one can only stretch it a little as the Government themselves have done in

section 12 where they refer to research and the furtherance of the objectives of coal. One has to be grateful to the Ministry who had brought a rather useless Bill to provide a useful opportunity to discuss the coal situation, I do not know, Mr. Chairman, if you are allowing me to move my amendments because they have been given only today but I should like to point out that the drafting of this Bill has been very much below the standards of Government. There are various provisions which could be easily altered to become clearer and precise. If I have a chance to move my amendments I shall try to do so.

Now we have to look at the coal problem which is a serious problem. Coal constitutes nearly 75 per cent of mineral production in this country and it engages the largest number of workers in the country. It is fundamental to most industries. They fixed the target at 93 million tonnes in 1972-73. At present the production is 71 or 73 million tonnes. You have various mines not working, and various coalminers starving, and at the same time, as my good friend here has already pointed out, the various uses of coal have not been explored. You have an amount of nearly Rs. 14 crores already collected as cess. What have you done to consider the extension of the uses of coal? They have made a very valuable suggestion that as there is a shortage of fuel in the villages, you must consider seriously how to convey coal to our people in the villages and to our poor people in the towns. This had been done in Madras in respect of lignite. There have been lignite briquettes. Why should we not have something like the equivalent of coal delivered at railway stations which are very good distributing points, delivered where there is a shortage of fuel or where too much of cowdung is being used? I need not stress the argument; it is well-known that to the extend you use the cowdung you are reducing the natural resources for fertilising your fields. You are in a way encroaching on another subject of the Minister, namely, fertilisers. If you want to kill the competition with cowdung, by the use of nitrogenous and other fertiliser products, I suggest you make available or bring in a scheme for making available coal as fuel for the poor.

Secondly, I would like to recall to the Minister that there was an Energy Commission six years ago, which made very valuable suggestions about the uses of coal. I fear that not one of their suggestions has so far been carried out and I do not know if they ever received the attention of the Government. One would like to hear if they did. Why not use coal, for instance, in producing fertilisers, and why should we go in for naphtha which we have to import? This is your own subject. You are transferring one of your products from one side to the other, and giving us an end-product which is short in this country. There may be some objection that production on coal base is more expensive and it requires more capital investment. But it is worth-while because you are going to use an indigenous fuel.

Then there is the question of using coal as gas. I have mentioned the use of coal for the poor. Gas is a thing which the middle class would appreciate. At present the cost of gas is rather high. It is prohibitive, due to the policy of the Government. You are dealing with petrol; you can deal with gas, and make it available at cheaper rates than at present. At present, it is not within the means of the middle classes to use gas. Make it cheaper so that it is available for use.

Fourthly, it has already been mentioned by Mr. Tyagi it is not your subject but you are concerned with it—that the railways should not reduce their demand for coal. If they go in the way they are doing in respect of dieselisation, your demand of coal is going to be reduced very considerably. Already, the figures indicate that after 1972 there are going to be no more locomotives on coal and as the existing locomotives which are not very large in number—only 1,800—are wasted out, you are going to face the fact that your principal consumer of coal is going to reduce its demand. You may suggest to the railways, you may press it on the railways and press it to the Cabinet, that if the railway wants modernisation, it will have electrification which uses coal, which does not need the import of petroleum products from abroad for which you have to sacrifice foreign exchange.

These are matters which deserve your attention, and I do hope that in the interests

[Shri Lobo Prabhu]

of the country, you will take a definite step. What is very important, here and now, is that you have to have a watch on coal prices, in such a way that coal prices do not go down and coal mining does not cease to be a source of employment. One was very gratified that coal prices were freed from control two years ago, but it was only a fictitious freedom you gave to the coalminers, because the railways were in a position practically to enforce their prices. The railways no dout have done what they could to raise the prices but they are still not economic. I am not saying that the price of coal should be put up to make the mines economically more viable, but something must be done. The railways must be told that an economic price for coal must be paid and they must use as much coal as possible.

Before we complete the picture of coal, we have to remember that the picture of all fuels is one and whole. We have to make the people understand this. Instead of searching for petroleum inside the country or outside, on land and sea, where we have something, we must develop that first. Otherwise, we do not get a complete picture. I do hope that this opportunity which you have afforded to us to discuss this subject of coal would be properly used.

The factual result of this Bill is, you are creating two funds, one for coal and the other for coking coal. There are a lot of inconsistencies in the provisions you have made under section 12. In the original provisions for the fund, research and many other things were there which you do not provide here in respect of coking coal. First I suggest you consider why you want two funds, more staff and more complications. You could have carried on with one fund and fewer complications. If you are wanting two funds, I suggest you make it quite clear that one fund relates to ordinary coal and the other fund relates to coking coal, in which case you could call it Coking Coal Development Fund and not just Coal Development Fund.

श्री तुलशी दास जाधव (बारामती) : सभापति महोदय, इस बिल में सेफ्टी और कंजर्वेशन के बजाय डेवेलपमेंट आफ माइन्स की बात है। जो बोर्ड है उसका काम सेफ्टी और कंजर्वेशन के साथ साथ डेवेलपमेंट भी था। इस सम्बन्ध में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। जो माइन्स आप डेवेलप कर रहे हैं उससे जो कोल निकलने वाला है उसका उपयोग आप को और अधिक कामों में भी करना चाहिये। तभी माइन्स का डेवेलपमेंट ठीक से हो सकेगा। आज देहातों में जिस गोबर का इस्तेमाल खाद के लिये होना चाहिये था उसका उपयोग ईंधन के लिये किया जाता है जिससे कोयला बचा रह जाता है। पहले जो रेलवे कोयले का उपयोग करती थी उसके लिये भी आयल एंजिन आ रहे हैं या इलेक्ट्रिक एंजिन आ रहे हैं। इस कारण भी कोयला बचा रह जाता है। परिणाम यह हो रहा है कि कोयला खानों के जो मालिक लोग हैं वह कोयले का उपयोग न हो पाने के कारण खानों का विकास नहीं कर पाते हैं और माइन्स को छोड़ कर चले जाते हैं। आज खानों पर कोयले के ढेर लगे हुए हैं। रेलवे वैगन न मिलने के कारण जहां कोयला जाना चाहिये वहां वह नहीं जा पाता है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह से आज एसो कम्पनी है, बरमा आयल कम्पनी है, इंडियन आयल कम्पनी है, उनकी गैस को इस्तेमाल करने की योजना है, जिससे शहरों में घरों के अन्दर गन्दगी भी नहीं रहती और धुआं भी नहीं होता, उसी तरीके से कोयले से कोई ऐसी गैस बनाई जानी चाहिये जिसका इस्तेमाल देहातों में हो सके।

आज देहातों की हालत बड़ी खराब है। जो गोबर खाद के लिये इस्तेमाल हो सकता है उसका इस्तेमाल ईंधन की जगह पर होता है। मैं चाहता हूं कि कोयले का उपयोग करके आप उसकी गैस बनायें या कोई दूसरी चीज बनायें जो देहातों में चली जाये और ईंधन की जगह इस्तेमाल हो। इससे एक फायदा तो यह होगा कि आज कल घरों में जो गन्दगी हुआ करती

है वह कम होगी, दूसरे लोगों को खाद के लिये गोबर ज्यादा मिल सकेगा। आज घरों में जो जानवर होते हैं उनके गोबर का अच्छे तरीके से इस्तेमाल होने से अनाज ज्यादा पैदा होगा, दूसरे आज सल्फेट और यूरिया आदि पर बहुत अधिक दाम खर्च कर हमको जो खाद का प्रबन्ध करना होता है उसकी बचत होगी। गोबर की खाद हिन्दुस्तान के लिये बड़ी अच्छी मानी जाती है। उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा रहती है और लोगों को मुफ्त मिल जाता है क्योंकि घर घर में देहातों में गोबर होता है। आज कल गांवों में कोई दूसरा ईंधन न मिलने के कारण हम गोबर का इस्तेमाल करते हैं। मेरी राय है कि कोई साइंस जानने वाले रिसर्च कर के कोई ऐसी चीज कोयले से तैयार करें जिसका उपयोग ईंधन के लिये हो सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि बोर्ड का काम माइन्स का डेवेलपमेंट करना भी है, इसलिये वहां पर कोल माइन्स के अच्छे जानकार होने चाहिये। आज इस सरकार के जरिये से जो ऐडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका इस्तेमाल पब्लिक सेक्टर में होता है। वह ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाने लायक तो होते हैं लेकिन माइन्स चलाने लायक नहीं होते। इसी तरह से इस बोर्ड में जो आदमी लिये जायें वह ऐसे लिये जायें जिनको कोयले के काम का ज्ञान हो। वह उस कोयले का इस्तेमाल इस ढंग से करें कि खानों पर कोयले का ढेर न लगे। वह कोयले को फ्यूल की जगह पर इस्तेमाल करने की बात सोचें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, अभी हम कोयला खान संरक्षण और सुरक्षा विधेयक पर विचार कर रहे हैं। मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए दो तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। इस विधेयक के जरिये सरकार संरक्षण और सुरक्षा के अलावा कोयला क्षेत्र के विकास का काम भी करना चाहती है। इस काम के लिये सरकार ने कोयला बोर्ड का संगठन कर रक्खा है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह ठीक ही बतलाया कि जो कोयला बोर्ड है वह भी रेलवे बोर्ड की तरह सफेद हाथियों की जमात है, साथ ही भ्रष्टाचार का भी अड्डा है। सरकार करोड़ों रुपये कोयला खानों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिये देगी और पहले भी देती रही है। लेकिन अब तक क्या हुआ है ? उन्होंने क्या किया है जरा इस सम्बन्ध में भी आपको विचार करना चाहिये। जो देश का पैसा है, देश की जनता का पैसा है उसको सरकार प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े कोयला खदानों के मालिकों को देती रही है। किस लिये ? स्टोइंग के नाम पर, ऐडवर्स फैक्टर के नाम पर। जहां तक मेरी जानकारी है स्टोइंग के नाम पर प्रत्येक साल पांच-छः करोड़ रुपया कोयला बोर्ड बड़े बड़े पूंजीपतियों को देता है और ऐडवर्स फैक्टर के नाम पर भी करीब करीब पांच-छः करोड़ रु० देता है। उनमें से कौन सी कम्पनियां हैं जो उस पैसे का इस्तेमाल करती है ? एसो कम्पनी, बिड़ला कम्पनी, थापर कम्पनी, ऐंन्डू यूल कम्पनी, मूंधड़ा की टर्नर मारिसन कम्पनी, ईक्विटेबल कम्पनी आदि बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं, जो बड़े बड़े सेठों की कम्पनियां हैं जिन्होंने कोयला व्यवसाय पर अपना शिकंजा जमा रक्खा है। उनको यह पैसा हर साल आप देते हैं। कोल बोर्ड के जो लोग हैं उनको लाखों रुपया मिल जाता होगा। जो अफसर हैं जो जांच करने जाते हैं स्टोइंग का, उसमें क्या चालू है, क्या नहीं है, उसके बारे में वे अपनी रिपोर्ट देकर लाखों रुपया कमा लेते हैं। मेरी जानकारी है कि इस तरह से अफसरान इन कामों के नाम पर निजी उद्योगपतियों से महीने में तीन तीन लाख रुपया कमाते हैं। जिस उद्देश्य के लिए पैसा दिया जाता है कोल बोर्ड को वह पूरा नहीं होता है। पानी ज्यादा हो गया है, गांव बह जाता है, मुहल्ले बह जाते हैं, उसकी रोकथाम पर पैसा खर्च नहीं किया जाता है। आग जो लग जाती है उससे रक्षा के उपाय नहीं

[श्री रामावतार शास्त्री]

किये जाते हैं। यहां पर झरिया की खानों की चर्चा की गई है। बरसों से यहां आग लगी हुई है। आप उसको ठीक नहीं कर पाते। इन कामों के लिए उन्हें करोड़ों रुपया दिया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जिस काम के लिए वह दिया जाता है नहीं होता है। रुपये का इस्तेमाल मजदूरों की सुरक्षा के लिए नहीं किया जाता है। खानों में वे लोग काम करते हैं और बहुत से कानून बने हुए हैं सुरक्षा सम्बन्धी लेकिन उन कानूनों का दिन रात उल्लंघन होता है। मजदूरों की जानें जाती है, दुर्घटनाएं होती हैं। ढोरी खान दुर्घटना की बात आप सुन चुके हैं। यह कुछ साल पहले की बात है। स्वर्गीय राजा कामाख्य नारायण सिंह की वे खानें थीं। उसके बारे में सुना है आपने इनक्वायरी भी की लेकिन रिपोर्ट जो आई उसको आपके अफसरों ने दबा दिया और उसके अनुसार काम करने की कोशिश नहीं की गई। कोल बोर्ड की जो जवाब देही है, उसको उसने पूरा नहीं किया।

आप कोल बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे रहे हैं लेकिन कोई चैक नहीं है। उनके भ्रष्टाचार को रोकने का कोई तरीका नहीं है। सी० बी० आई० पुराने कांग्रेसी मंत्रियों के घरों पर छापे मारती है। ऐसा करके उसने ठीक किया है। उसको मारने भी चाहिये। लेकिन क्या ऐसे सफेद हाथियों और काले हाथियों के यहां छापे नहीं मारे जा सकते। बड़े बड़े अफसर जो जनता के पैसे को खा रहे हैं और कोयला खानों का विकास नहीं करते हैं, उनका संरक्षण नहीं होता है, सुरक्षा उसकी नहीं की जाती है, उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। जो पैसा आप देते हैं वह पैसा जिन कम्पनियों का नाम मैंने बताया है, उसको वे दूसरे कामों में खर्च कर देती हैं। कुछ पैसा तो अफसरों को घूस देने में खर्च कर दिया जाता है और बाकी पैसा दूसरे कामों में खर्च कर दिया जाता है। उसको रोकना चाहिये।**

सभापति महोदय : कोई भी चार्ज जब आप लगाते हैं.....

श्री रामावतार शास्त्री : मैं नाम नहीं ले रहा हूं।

सभापति महोदय : इस तरह का बाइलड चार्ज लगाने से पहले आपको स्पीकर को लिख-कर देना चाहिए था। मेहरबानी करके आप इसको विदड्रा कर लें।

श्री रामावतार शास्त्री: आप सुन लें, बिहार में क्या हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा मैं यह बतलाना चाहता हूं.......

सभापति महोदय : आप विदड्रा कर लें, वर्ना यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री : आप इन कम्पनियों को करोड़ों रुपया देते हैं लेकिन उसके बावजूद आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि बड़ी कोयला खानों के मालिकों के पास मजदूरों की गाढ़ी कमाई का सात करोड़ रुपया प्राविडेंट फंड का बकाया पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं इन्हीं मालिकों के ऊपर जो बिहार के अन्दर हैं, बंगाल के अन्दर हैं, मध्य प्रदेश के अन्दर हैं, तीस करोड़ रायलटी के बाकी हैं। मैं जानता हूं कि बिहार सरकार का करोड़ों रुपया रायलटी का बाकी है और बिहार सरकार संकट में चलती है। कोई भी सरकार हो उसके सामने संकट रहता है। कोई भी मांग पेश की जाय कहा जाता है कि रुपया नहीं है जबकि करोड़ों रुपया रायलटी का उनकी तरफ बाकी है। मुझे यह भी मालूम है कि बिहार के एक मिनिस्टर जो टार्वालिग आप्रशंज में लगे हुए हैं, उनके ऊपर लाखों रुपये बाकी हैं रायलटी के। मैंने पिछले सेशन में इसके बारे में सवाल किया था। मुझे जबाब दिया गया कि जान-कारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी। परन्तु आज तक वह रखी

**Expunged as ordered by the Chair.

नहीं गई है। रुपया आप विकास के नाम पर देते हैं लेकिन विकास पर खर्च नहीं होता है। सरकार का पैसा है लेकिन सरकार को वह नहीं मिलता है। जो रायलटी का पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। मजदूरों की कमाई का जो पैसा है वह उनको मिलता नहीं है, प्राविडेंट फंड का जो पैसा है वह उनको मिलता नहीं है।

17 hrs.

स्टोइंग, एडवर्स फैक्टर, आग लग जाने पर या गांव के बह जाने पर या उसको बहने से रोकने के लिए जो पैसा आप देते हैं, वह भी उस काम में नहीं आता है। उस पैसे का मिसयूज होता है, गलत इस्तेमाल होता है। इसको रोकने के लिए आपको कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा।

ये जो काम हैं इनको आपको खुद करना चाहिए, सरकार को इनको करना चाहिये। उन पर आप भरोसा क्यों करते हैं? आप स्वयं खर्च करेंगे तभी सुरक्षा ठीक से होगी, तभी विकास ठीक से होगा। तभी कोकिंग कोल की हैवी इंडस्ट्री के लिये जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी। क्या देश में कोकिंग कोल की सचमुच में कमी है। कमी नहीं है। बड़े बड़े कोयला सेठ उसको दबा कर रखे हुए हैं। आपकी हिम्मत नहीं है, उनसे आप इसको निकाल सकें। जब आप दाम बढ़ा देते हैं तो झट से वह बाहर आ जाता है। अन्न संकट होता है तो बड़े बड़े लोग अन्न दबा कर रख लेते हैं। ज्यों ही दाम बढ़ा दिये जाते हैं, वह सारा अन्न निकल कर बाहर आ जाता है और कमी नहीं रहती है। कोकिंग कोल की समस्या बहुत विकट समस्या है। उद्योगपतियों पर आप अंकुश लगाएंगे तभी यह समस्या हल होगी, तभी कोकिंग कोल मिलेगा। इस वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि आप खुद ये सब काम करें। कोयला खानों का आप राष्ट्रीयकरण करें। इसके बिना आपका कोई काम नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि वांछित फल मिल सके तो आपको यह करना ही होगा। अगर आपको समाजवाद की तरफ जाना है और मजदूरों का फायदा करना है, देश का फायदा करना है तो राष्ट्रीयकरण के सिवा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। आप राष्ट्रीयकरण से नफरत भी नहीं करते हैं। कहते तो जरूर हैं और बिल भी पेश करते हैं लेकिन आप गड़बड़ कर जाते हैं या आपके अफसर गड़बड़ कर जाते हैं। जन आन्दोलन का जो डंडा है उससे हम बच नहीं सकते हैं और हमको राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी वह हो जायगा उतना ही अच्छा होगा। लेकिन जब तक आप वैसा नहीं करते हैं तब तक जो छोटी छोटी खानें हैं, जो नुकसान में चलती हैं, उनके एमलगमेशन की तरफ हमको ध्यान देना होगा। इसके बारे में बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आपके पास आज नहीं, दस साल पहले आई थी। उस रिपोर्ट को भी आप दबा कर बैठे हुए हैं। आपकी हिम्मत देशी और विदेशी पूंजीपतियों से टकराने की नहीं है तो कम से कम जब तक आप में वह हिम्मत नहीं आती है तब तक आप बलवन्त राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के अनुसार एमलगमेशन का काम तो करें ताकि छोटी छोटी कोयला खानों से भी ज्यादा से ज्यादा प्राफिट मिल सके। उन सिफारिशों का यही उद्देश्य था। निजी उद्योगपति ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। अगर हम निजी उद्योगपति होते तो शायद हम भी यही करते। करना ही पड़ता क्योंकि हमारे सामने मेक्सिमम प्राफिट का उद्देश्य रहता है। मैं यहां पर मेम्बर की हैसियत से नहीं आता तो मैं भी उद्योगपति बन सकता था। अगर आप राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते हैं फिलहाल तो एमलगमेशन तो कोयला खानों का आप करिये ही ताकि उनका ठीक से विकास हो सके। तभी जो बिल आप ला रहे हैं, सचमुच में इसका वांछित फल मिल सकेगा, फायदा मिल सकेगा।

[श्री रामावतार शास्त्री]

मजदूरों की सुरक्षा के बारे में कई लोग बोल चुके हैं। मैं भी इस ओर इशारा कर चुका हूं। उस तरफ आपका ज्यादा ध्यान जाना चाहिये। उनके पांव कट जाते हैं, वे मर जाते हैं। ढोरी खान दुर्घटना में तथा दूसरी खान दुर्घटनाओं में सैकड़ों मजदूर मारे गये। लेकिन उनके बाल बच्चों को देखने वाला कोई नहीं। करोड़ों रुपया आप देते हैं स्टोइंग के नाम पर, एडवर्ज फैक्टर्ज के नाम पर, विकास के नाम पर। लेकिन यह पैसा गुंडे पालने में खर्च वे लोग कर देते हैं।

बड़े बड़े खान मालिकों ने मेरे ऊपर गत मध्यावधि चुनाव में लाठी चलवाई। धनबाद के इलाके में हम मीटिंग कर रहे थे। आकर गुंडे हमें लाठियों से पीटने लगे क्योंकि हम लाल झंडे वाले थे। वहां तिरंगा झंडा वालों की बात चलती है। उन पर कोई लाठियां नहीं चलाता। हम मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए चूंकि लड़ने वाले हैं, खान मालिकों का मुकाबला करने वाले हैं, यूनियन बनाने वाले हैं, इस वास्ते इन मुशटंडों को उन्होंने हम पर लाठियां चलाने के लिए पाल रखा है। इस तरह से उन पर रुपये का गलत इस्तेमाल होता है। जो रुपया उनको खानों के विकास के लिये, संरक्षण के लिये, सुरक्षा के लिए दिया जाता है उसका इस्तेमाल वे गुंडों के गिरोह पालने में करते हैं और लड़ाकू यूनियनों के ऊपर उनसे हमले करवाते हैं। देवेन बाबू बहुत पहले से खान मजदूरों में काम करते आ रहे हैं। वह ज्यादा जानते हैं। मैंने तो वहां काम करना अभी हाल ही में शुरू किया है। इस वास्ते मैं ज्यादा नहीं जानता हूं। वह बहुत ज्यादा जानते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक आप राष्ट्रीयकरण नहीं करते हैं, तब तक आप एमलगमेशन करें। साथ ही साथ सख्ती के साथ आप कोकिंग कोल जो दबा कर रखा गया है, उसको बाहर निकलवाइये। जो इस बिल का उद्देश्य है इसके मुताबिक आप काम करें। यदि आपने ऐसा किया तभी समझा जायेगा कि इसका कोई फायदा हुआ है। कानून तो आप बहुत से पास करते हैं लेकिन कागजों में ही वे रह जाते हैं और जो इतिहास के विद्यार्थी हैं या रिसर्च के विद्यार्थी हैं, उन्हीं के काम में आते हैं। कहा जाता है कि हिन्दुस्तान बहुत तेजी से समाजवाद की तरफ जा रहा है, मजदूरों का राज हो रहा है, लोक कल्याणकारी राज्य बन रहा है। लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि इस बिल को इस तरीके से लागू किया जाये कि सरकार के उद्देश्य सफल हों।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर ध्यान देकर काम करने की कोशिश करेंगे।

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य, श्री शास्त्री, ने बताया है कि जिस कोल बोर्ड के तत्वावधान में कोलमाइन्ज को सेफ्टी और कनजरवेशन आदि का विषय है, वह किस तरह से काम कर रहा है। रेलवे बोर्ड की हालत तो हम लोग जानते ही हैं। यह कोल बोर्ड उसका दूसरा भाई है।

कोयले का काम एक तो मार्टिन बर्न आदि बड़ी बड़ी कम्पनियों के द्वारा किया जाता है; दूसरे, छोटी छोटी कम्पनियां छोटी छोटी कोलियरीज चलाती हैं और तीसरे, एन० सी० डी० सी० है, जिसको खुद सरकार चलाती है। कोल बोर्ड की सांठ-गांठ बड़े-बड़े लोगों के साथ रहती है और वह छोटी कोलियरीज को तबाह करने के लिये कई किस्म के प्लान बनाता है। मिसाल के तौर पर जब किसी छोटी कोलियरी में आग लग जाती है, तो कोल बोर्ड उसको बुझाने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है। आसनसोल के इलाके में दो तीन बरस तक बहुत कोयला जलता रहा, लेकिन चूंकि वहां

पर किसी बड़ी कम्पनी की कोलियरी नहीं थी, इसलिए कोल बोर्ड की तरफ से उसको बुझाने का कोई इन्तजाम नहीं किया गया। कोल बोर्ड सिर्फ बड़े-बड़े लोगों को मदद देता है।

मेरी तजवीज यह है कि बड़ी बड़ी कोलियरीज को फौरन नेशनलाइज कर दिया जाये और छोटी-छोटी कोलियरीज के मालिकों की मदद की जाये और उनको सही मानों में प्रोत्साहन दिया जाये।

एन० सी० डी० सी० में बहुत धांधली चल रही है। मैं हाल ही में वहां पर गया हूं। मैंने देखा है कि वहां पर रात को दिन और दिन को रात बनाया जा रहा है। एक बरस पहले वहां पर हजारों टन कोयले में आग लगी हुई थी। मजदूरों ने मुझे बताया कि उसको बुझाया नहीं जाता है, बल्कि जब दूसरा मैनेजर आता है, तो वह साफ कर दिया जाता है। इस बार जब मैं वहां पर गया, तो देखा कि उसको पूरी तरह साफ कर दिया गया है।

एन० सी० डी० सी० के पास कोई प्लान नहीं हैं। विदेश से एक कोल-वाशरी मंगा कर लगाई गई है, जिसको कैपेसिटी बीस हजार टन रोजाना है। लेकिन वहां पर तीन कोलियरीज में सिर्फ छः हजार टन कोयला रोजाना निकाला जाता है। अब समस्या यह है कि उस वाशरी को कैसे चलाया जाये। वाशरी के जिम्मेदार लोगों, और बाहर के लोगों ने भी यह बताया है कि कोयले को साफ करने से जो पानी निकलता है, उसमें से तीन किस्म के बाई-प्राडक्ट निकलते हैं और इस तरह करीब-करीब तमाम मुल्क को लकड़ी की जगह इस्तेमाल करने के लिये कोयला सप्लाई किया जा सकता है।

मैंने यह भी सुना है कि वहां पर जो मैनेजर आते हैं, वे एक दो बरस रह कर फिर किसी कोलियरी के शेयर खरीद कर उसको चलाने के लिए जाते हैं। मैंने सुना कि शायद एक बड़े अफसर की चोरी पकड़ी गई थी। वह रिजाइन कर के चला गया और झरिया में दो तीन कोलियरीज के शेयर खरीद कर उनको चलाने लगा। एन० सी० डी० सी० की तरफ से उनके बारे में कोई एनक्वायरी नहीं की गई और कोई कदम नहीं उठाया गया।

जहां तक सेफटी का सवाल है, गिड्डी सबसे बड़ी कोलियरी है, लेकिन वहां पर कोई पांच मिनट के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता है। बड़े-बड़े डम्पर कोयला लेकर ऊपर आते हैं, जिनसे इतनी धूल उड़ती है कि वह ड्राइवर के नाक और कान में भर जाती है। यह काम बरसों से चल रहा है, लेकिन कोई सेफटी आफिसर वहां जाकर नहीं देखता है। कोयले की डस्ट और मिट्टी की डस्ट से गिड्डी के इलाके में हमेशा अन्धेरा रहता है और ऐसा मालुम होता है कि वहां पर हर वक्त बादल छाये रहते हैं।

सबसे खतरनाक बात मैंने यह देखी है कि एन० सी० डी० सी० जैसी बड़ी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में अस्सी परसेंट मजदूर डेली और पीस-रेटेड हैं और सिर्फ थोड़े से मंथली रेटेड हैं। एक ही डिपार्टमेंट है और एक ही किस्म का काम है, लेकिन मजदूरों को दो किस्म की वेजेज दो जाती हैं। दोनों श्रेणियों के मजदूरों के वेतन और सुविधाओं में जमीन-आसमान का फर्क है। उन दोनों की मेडिकल फैसिलिटीज, क्वार्टर, उनको दिये जाने वाले कोयले, कैजुअल और दूसरी लीव आदि के बारे में बहुत डिफरेंस है। इस वजह से वहां के मजदूरों में बहुत डिसकान्टेन्टमेन्ट है। जिस दिन वह जोर से फटेगा, उसको सम्भालना मुश्किल हो जायेगा और तब डा० त्रिगुण सेन चिल्लायेंगे कि वहां पर नक्सलाइट्स घुस गये हैं। लेकिन सरकार ने खुद वहां पर ऐसे हालात पैदा किये हुए हैं, जिनमें वहां आग लगने वाली है।

इसके अलावा डम्पर, शावल और बुल-

[श्री मुहम्मद इस्माइल]

डोजर पर काम करने वाले वर्कर्ज में ए और बी दो ग्रेड बना रखे हैं । एक ही डिपार्टमेंट है और वे सब बहुत हैवी काम करते हैं । एक निकालता है, दूसरा ले जाता है और एक रिपेयर करता है, लेकिन उनकी पे में फर्क रखा गया है । इन हालात में कोयला ज्यादा नहीं निकाला जा सकता है । अगर वहां पर ठीक हालात पैदा किये जायें, तो आसानी से हजारों टन कोयला निकाला जा सकता है । मजदूरों ने खुद कहा कि यह बदमाशी है यहां के अफसरों की हमारे अंदर झगड़े लगाने के लिए इस तरह की चीज इन्होंने पैदा करके रख दी है । मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि एन०सी०डी०सी० में खास तौर से इन चीजों को आप देखें । मैंने इस बारे में चिट्ठी भी लिखी और बहुत से सवालात भी किए । इसके साथ-साथ वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी देखें । वहां वेलफेयर डिपार्टमेंट मेडिकल हैल्थ भी देखता है और एक कम्पनी भी खोल रहा है वह भी देखता है । वेलफेयर डिपार्टमेंट जो मेडिकल देखता है वह तो सेंट्रल लेबर गवर्नमेंट देखती है और कम्पनी का जो है वह मन्थली रेट वालों को देखता है । आज तमाम मजदूरों के अंदर बीमारियां फैली हैं, लेबर वेलफेयर सेंटर में जाना हो तो कहां जाओ ? रामगढ़ जाओ और वह ऐसा है कि दवा भी देता है तो एक दिन की । रोज आओ । मैंने पूछा कि तीन दिन की क्यों नहीं देते हो तो कहते हैं कि अच्छा है रोज बुलाते हैं, यह आ सकते हैं, रोज ही आएंगे । मैं ठीक उसी वक्त जाकर पहुंचा जब मजदूर खड़े थे । उनसे मैंने पूछा कि क्या बात है तो उन्होंने कहा कि दो दिन तीन दिन की भी दवा नहीं मिलती, रोज बुलाया जाता है । यह परेशानी है वहां । स्कूलों का ऐसा मामला है कि हजारों मजदूर वहां हैं । पांच कमरे का स्कूल बनाकर रख दिया गया है । छोटे-छोटे पांच कमरे हैं और 15 हजार मजदूरों को फैमिली है । उन पांच कमरों में कहा जाता है कि बैठो और पढ़ाओ । शिफ्ट सिस्टम कर दिया है ।

लड़के आते हैं, बाहर बैठे रहते हैं और चले जाते हैं । चिल्ला-चिल्ला कर रह गए, कोई कुछ सुनता नहीं है । एन० सी० डी० सी० बिलकुल कोई ख्याल नहीं करता है ।

तो मेरा यही कहना है कि छोटी-छोटी कोलियरीज को बोर्ड की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सहायता मिलनी चाहिए और बड़ी-बड़ी जो कोलियरीज हैं, बड़े-बड़े जो मगर-मच्छ बैठे हैं, इन तमाम को नेशनलाइज करना चाहिए । एन० सी० डी० सी० के अंदर जो धांधली है, जो यहां पर डिसपैरिटी है, जो तफर्का है, उसको मिटाने की कोशिश करनी चाहिए । यही मेरा कहना है ।

जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है अभी तक उसमें कंजर्वेशन और सेफ्टी था अब उसके साथ डेवलपमेंट भी उसमें आ गया । अब एक बोर्ड जो है जिस पर एतबार नहीं, जिसके तजुर्बे से देखा जा रहा है कि उसने धांधली पैदा की, उसके ऊपर डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी दी जाती हैं और कहा जाता है कि इसके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ाई जाय और इसके लिए पैसा भी दिया जायगा । यह भी कहा गया कि इस बोर्ड को री-कांस्टीट्यूट किया जायगा । लेकिन खुले तौर से इसको जब तक चेंज नहीं करेंगे, ओपेन माइन्ड लेकर नहीं करेंगे, तो इससे कुछ लाभ नहीं होगा । जब छोटे जो हैं उनकी मदद की जाय और बड़ों को नेशनलाइज किया जाय, एन० सी० डी० सी० के अन्दर जो धांधली चलती है उसको दूर किया जाय, उसे चेंज किया जाय और पूरा उसका सुधार किया जाय तब जाकर कुछ हो सकता है वरना संकट आएगा और संकट बढ़ेगा और इसमें जल्दी ही कोई दुर्घटना घटने वाली है, अगर इसको सीरियसली न देखा गया ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति

जी, मैं इस विधेयक का 50 परसेंट समर्थन करता हूं, आधा समर्थन करता हूं। इसको वजह यह है कि पहले जो विधेयक था उसमें था सेफ्टी इन कोल माइन्स और अब यह लिख रहे हैं सेफ्टो इन एण्ड डेवलपमेंट आफ—तो डेवलपमेंट आफ के ऊपर मुझे शक होने लगता है कि दाल में कुछ काला है। यह एक ऐसी चीज तैयार कर रहे हैं जिसके जरिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल कोयले के सेठों को करने दिया जायगा। मतलब यह ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं कि जिससे कोयले खान के मजदूरों को फायदा होगा डेवलपमेंट के नाम से सरकारी या जनता के पैसे का। अभी कहा गया है कि कंजर्वेशन के नाम पर संरक्षक के नाम पर अभी भी आप बहुत मदद कर रहे हैं, कोयला बोर्ड की तरफ से उनको बहुत पैसे दे रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो भी पैसा आपने दिया उससे क्यों कोल माइन्स का अब तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया? आप इसका ईमानदारी से जवाब दें। ऐसा हाचपाच जवाब न दें कि यह हुआ वह हुआ। आप कहें कि क्यों नहीं हुआ? वह कोयले की खान के मालिक जो मुनाफा कमाते हैं, मुनाफे का अच्छा हिस्सा कोयले की खानों को माडर्नाइज करने में भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। जिस तरह से और उद्योग हिन्दुस्तान में हैं, चोनी उद्योग है, आप देखते हैं आज चीनी मिल्स माडर्नाइज्ड नहीं हैं। उन मिलों के मालिकों ने मुनाफा कमाने का काम किया। लेकिन वह मिलें भी फुली माडर्नाइज्ड हों, मेकनाइज्ड हों, यह काम उन्होंने नहीं किया। इसी तरह से टेक्सटाइल का हाल है। सूती कपड़े की मिलें हैं वह भी आपको बहुत सी सिक मिलें हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनसे मुनाफा कमाया गया, कामधेनु गाय की तरह दूध दूहने के रूप में उनसे मुनाफा कमाया गया। इन कारखानों को बढ़ाने का मकसद उनका नहीं रहा। यही काम कोयला खानों में हुआ। निजी क्षेत्रों के जो मालिक हैं कोयला खदानों के उन्होंने मुनाफा कमाने का काम किया लेकिन खान बढ़े इस काम को उन्होंने नहीं किया। नतीजा यह है कि खानें फुली माडर्नाइज्ड नहीं हैं और इसीलिए चिन्ता की बात हो जाती है। डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाया। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्यों इन खानों का पूरा विकास नहीं हो पाया। कितना मुनाफा उन्होंने कमाया और कितना उसका परसेंटेज इस्तेमाल हुआ डेवलपमेंट के लिये? यह सब बातें आप रखेंगे कंविंसिंग तौर पर तब हम समझ सकते हैं कि हकीकत में आप इसका विकास करना चाहते हैं वरना मुझे मालूम होता है कि इसमें कुछ जरूर गड़बड़ है और इस संशोधन के जरिए आप निजी क्षेत्रों की जो कोयला की खानें हैं उनको मदद के लिए आप एक रास्ता निकाल रहे हैं। हकीकत में यदि कोयला खानों का विकास करना चाहते तो जो निजी क्षेत्र की खानें हैं उनका आप राष्ट्रीयकरण कर लेते, इस तरह की एक फिजा चलती। पब्लिक सेक्टर में आज कहीं कुछ घाटा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह रास्ता ही गलत है। ऐसा एक वातावरण बनाया जा रहा है हिन्दुस्तान में प्रतिक्रियावादियों के जरिए कि सरकारी कारखाने जो हैं वह घाटे में चलते हैं इसलिए राष्ट्रीयकरण का तरीका गलत है। लेकिन यह गलत बात है। उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जो कुछ भी थोड़ा सा मुनाफा होता है वह समाज का होता है, कुछ चन्द मुनाफाखोरों, चोरों और लुटेरों का नहीं होता है। ट्रायल और एरर के जरिये कुछ दिनों में हमारा रास्ता साफ होगा और यह जो उद्योग हैं उन उद्योगों पर समाज का कब्जा होगा। समाजवाद की ओर जाने के लिए यह मिनिमम रास्ता है, यह एक न्यूनतम कार्यक्रम है। इसलिए आप यदि ईमानदारी से विकास करना चाहते हैं तो जितने निजी क्षेत्र के उद्योग हैं बड़े या छोटे, छोटों का सवाल छोड़ दीजिए, बड़े जितने हैं उन सबको अपने अधीन कर लें और जैसाकि अभी कहा गया कोल बोर्ड में अफसरशाही जो है, यह अफसर-

[श्री शिवचन्द्र झा]

शाही घांधली का एक अड्डा बन गई है, इसमें एक विजिलेंस सेल आप बनाइए जो कोल बोर्ड डेवलपमेंट के लिये वार फुटिंग पर देखता रहे कि कहां घांधली होती है। कोल बोर्ड से लेकर खानों के अन्दर तक, वार फुटिंग पर उसको वाच करता रहे, ऐसा एक न्यूक्लियस बना दें, ऐसी एक मशीनरी बना दें, तब यदि कोल बोर्ड आपका रहता है और उसके जरिए आप फिर पैसा देते हैं जिसका कि पूरा मुझे विश्वास है कि अभी दुरुपयोग होगा कोयला मालिकों के जरिए, लेकिन एक ऐसी मशीनरी आप बना दें, ऐसा न्यूक्लियस बना दें कि जिससे जो करप्शन कोल बोर्ड में है वह दूर हो सके तो काम चल सकता है।

और बहुत सी बातें कही गई, उनपर मैं जाना नहीं चाहता। मजदूरों की बातें भी आ गई हैं। मजदूरों की दयनीय हालत है और कोल मजदूरों की तो और भी दयनीय हालत है। उनकी तरफ जिस तरह से कोयला खानों के मालिकों का ध्यान नहीं जाता मैं समझता हूं कि इनका भी ध्यान नहीं जाता। कभी-कभी इसकी नींद टूटती है। बीस साल में जागते हैं, 15 साल में जागते हैं, कभी एक बार इनकी नींद टूटती है, यह दृष्टिकोण बदलना होगा और हकीकत में इनके विकास के लिये कोयला खान के मजदूरों का पार्टीसिपेशन लेना होगा ताकि वे समझें कि इन खानों में हम जो भी पैदा करते है, वह हकीकत में मेरा है और इन विकास योजनाओं से जो भी लाभ होगा, उससे मेरा जीवन स्तर ऊंचा होगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। यह भावना उनके अन्दर तब ही आ सकती है, जब आप उनकी मिलकियत की बात को आगे बढ़ाएंगे। इस लिये उन का पार्टीसिपेशन बहुत जरूरी है।

नेशनल कोल डेवेलपमेंट कारपोरेशन ने इस काम को कहां तक आगे बढ़ाया है और कितना वह आगे कर सकेंगे, मुझे इसमें शक है। इन सब बातों को एक निश्चित ढंग से किया जाना चाहिये इसके लिये एक न्यूक्लियस बनावें ताकि वार-फूटिंग के तौर पर काम हो और वे उसको वाच करते रहें, साथ ही साथ वर्कर्स का पार्टीसिपेशन इसमें लें ताकि उनकी दिक्कतें दूर हो सकें। वरना इस विधेयक के जरिये, मुझे पूरा विश्वास है, कोयला खदानों के वर्कर्स की भलाई नहीं होगी, उनको भलाई की बजाय आप अपने आपको कोयला खानों के मालिकों के हाथ में सपुर्द करने जा रहे हैं।

जहां तक सेफ्टी की बात है—मैं उसका समर्थन करता हूं, कितनी ही उसमें खराबी हो फिर भी कुछ न कुछ उनका भला होगा। इस लिये मैं पचास फीसदी इस बिल का समर्थन करता हूं और पचास फीसदी इसका विरोध करता हूं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : सभापति महोदय, इस बिल का उद्देश्य सीमित है और वह है कि सन 1967 से 75 पैसा प्रति टन के हिसाब से......

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आपके बिल में तो 1968 लिखा है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : 14 अक्तूबर, 1968 से जो पैसा वसूल हो रहा है, उसका उपयोग करने का अधिकार इस बिल के जरिये दिया जा रहा है ताकि उस पैसे का उपयोग किया जा सके। इस बहस के दौरान कुछ बातें इस बिल के सम्बन्ध में और कुछ बाहर की बातें भी कही गई हैं। जो बातें इस बिल से सम्बन्धित हैं, मैं उनका उत्तर यहां पर दे रहा हूं।

श्री त्यागी जी ने कोल-बोर्ड की बड़े जोर से आलोचना की और से उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जो पैसा इसको दिया जाता है, उसका बहुत

बड़ा भाग अधिकारियों पर खर्च होता है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इस विभाग के एडमिनिस्ट्रेशन पर केवल 40 लाख रुपया साल में खर्च होता है, जब कि कोल-बोर्ड 1300 लाख रुपया साल में खर्च करता है, मैंने खुद जाकर कोल-बोर्ड की कार्य पद्धति को देखा, मुझे स्वतः उससे असन्तोष है और हमने यह निश्चय कर लिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्ज कमीशन की भी यह सिफारिश है कि कोल-बोर्ड और कोल-कन्ट्रोलर दोनों को मिला कर एक कर दिया जाय । इनको रिआर्गेनाइज करने के काम में हम लोग आगे जा रहे हैं और यह काम हो रहा है।

सेफ्टी की बाबत बहुत सी बातें यहां पर कही गईं । वास्तव में सेफ्टी आर्गेनिजेशन का इस मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है, यह विभाग लेबर-मंत्रालय से सम्बन्धित है, चूंकि कोयला-खदानों से यह बात सम्बन्धित है, इस लिये इस बाबत भी एक-दो शब्द कह देना चाहता हूं। सेफ्टी आर्गेनिजेशन जिस समय बना था और आज इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है, उस दृष्टि से यह काफी पीछे है और इसको अपना रास्ता बदलना होगा । घूरी खदान की जो बात कही गई है—वह ठीक है । मैं अभी हाल में सेफटी—वीक के फंक्शन में गया था और मैंने वहां पर स्पष्ट रूप से यह बात कही थी कि केवल सभाएं करने से कोई लाभ नहीं होगा, हम खदान के मजदूरों की हालत सुधारें मनुष्य को मनुष्य समझें उसको अपने जैसा समझें, तभी उनका सुधार हो सकेगा। इस लिये इस ओर भी जो कुछ हमसे बन सकेगा, अवश्य करेंगे यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से हम इससे सम्बन्धित नहीं है।

प्रावीडेण्ट फण्ड की बात कही गई—दुर्भाग्य से इसका भी हमसे सीधा सम्बन्ध नहीं है। यह भी लेबर मंत्रालय का विषय है, उनको ही इसमें कार्यवाही करनी है । फिर भी हम उनके पीछे पड़े हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके यह रुपया वसूल किया जाय और जिन मजदूरों का है उनके खाते में जमा किया जाय । एक बात जो यहां पर नहीं कही गई और जिसे मैंने वहां पर देखा, वह यह थी कि जब मजदूर जाते हैं और उनको पैसा नहीं मिलता है, उसके बाद वे चले जाते हैं, इस तरह का बहुत सा अन-पेड वैजेज का पैसा पड़ा हुआ है । इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि वह पैसा उन मजदूरों के पास पहुंचे या उनके भाइयों के लाभ में लगाया जा सके।

कोयले के उपयोग के बारे में बहुत सी बातें श्री फणी गोपाल सेन जी और दूसरे साथियों ने कहीं । उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे में डीजल का उपयोग बढ़ रहा है, इससे कोयले का उत्पादन घटेगा, उस स्थिति में कोयले का उपयोग किस तरह से होगा । इसके बारे में हम लोगों ने रेलवे मंत्रालय से बात की है, कोयले के यातायात की बात भी उनके साथ चल रही है । वे अपनी कठिनाइयां बतलाते हैं, हम अपनी बात उनसे कराने की कोशिश कर रहे हैं । हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि वैगन्ज मिले, कोयला जाये और उसका उपयोग हो । साथ ही साथ कोयले के आधार पर इस समय फर्टिलाइजर के दो कारखाने देश में चल रहे हैं—एक सिन्दरी में और दूसरा नेवेलो में । लेकिन अब तालचेर और रामगुण्डा में दो और कारखानों का शिलान्यास हो चुका है । एक और कारखाना कोरबा में बनाया जाना है—ऐसा निश्चय हुआ है। इस तरह से खाद उत्पादन भी बढ़ेगा और कोयले का उपयोग भी हो सकेगा। देश के विकास के लिये बिजली की बहुत कमी है और एक दम से बिजली का उत्पादन हो भी नहीं सकता है, सिवाय थर्मल पावर स्टेशन कायम करने के दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। इस सम्बन्ध में इरिगेशन एण्ड पावर मिनिस्ट्री से हमारी बातचीत चल रही है और हमने उनसे अनुरोध किया है कि इसके लिये बहुत

[श्री नीतिराज सिंह चौधरी]

से थर्मल पावर स्टेशन लगाये जायं, इससे कोयले की खपत भी बढ़ेगी और कोयले की जो कठिनाइयां हैं, वे भी मिट जायंगी ।

कोयले को लोगों के घरों में उपयोग के लिये उपलब्ध कराने की बात कही गई है । इसके लिये मद्रास में जो नेवेली का लिगनाइट कारखाना है, वहां लीको नाम की ब्रिकेटस बनती हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में वहां पर बनती हैं, हमारा प्रयास है कि उसके उत्पादन को वहां पर और बढ़ाया जाय । इसके लिये लिगनाइट को और ज्यादा अधिक मात्रा में खोदने का प्रयास किया जा रहा है और एक्सपर्टस की मदद से माइन्ज को री-शेप करने की कोशिश की जा रही है, जिससे लिको का उत्पादन बढ़ सके ।

इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल फ्यूअल रिसर्च इंस्टीचूट ने भी बहुत से अनुसंधान किये हैं और उन्होंने कोल-वेस्ट का उपयोग करके पेलेटस या बाल्ज की तरह का हार्ड कोक बनाया है जो लोगों को उपलब्ध हो सकता है । इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि पब्लिक सैक्टर में में हो इसको बनाने के लिये कुछ प्रयास किये जांय ।

कोकिंग कोल की बात कही गई है कि टेण्डर के जरिये लेते हैं, छोटे खदान वालों से नहीं लिया जाता, बड़े खदानवालों से ही लिया जाता है । छोटे खदानवाले बड़े खदानवालों को देते हैं—यह आरोप लगाया गया है । त्यागी जी ने जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं, विरोध नहीं करता हूं । यह बात गलत है कि बड़ी खदान वाला छोटे से ले, यह नहीं चाहिये इसकी मुख्य खपत स्टील इण्डस्ट्री में है, हम उनके साथ इसके साथ इसके बारे में बातचीत करने का प्रयास करेंगे ।

पिछले दिनों मैं स्वतः झरिया गया था और वहां घूम-घूम कर मैंने वहां की हालत देखी । मैं इस समय इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कह सकता हूं कि मनुष्य के लिये जितना साध्य है, उतना परिवर्तन करने का हम प्रयास कर रहे हैं ।

एक बात और कही गई जो विशेष महत्व की है जो कन्जर्वेशन आफ कोल के सम्बन्ध में थी । श्री वेदव्रत बरुआ जी ने कहा कि कोल नेशनल वेल्थ है, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और मैं मानता हूं कि कोल के एक ग्राम का भी वेस्ट नहीं होना चाहिये । इसका कन्जर्वेशन और पूरा उत्पादन तभी हो सकता है जब कि खदान ठीक प्रकार से चले और ठीक से उसका विकास हो । इसके लिये हमारा मंत्रालय एक बिल तैयार कर रहा है, जिसके जरिये खदानों के अमलगमेशन की व्यवस्था होगी और जो उसमें स्वतः तैयार न हो और जिसका उसमें होना अनिवार्य हो, उस खदान के एक्वोजीशन की व्यवस्था की जा रही है । उसका मसौदा तैयार हो चुका है, ला-मिनिस्ट्री के पास गया हुआ है और मैं समझता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र वहां से आ जायगा तथा सम्भवतः इसी सत्र में सदन के सामने लाया जा सकेगा ।

लोबो प्रभु जी ने बहुत सी बातें कहीं—उन्होंने कहा कि यह बिल बिलकुल यूजलेस बिल है और अगर कन्जर्वेन्सी को स्ट्रेच किया जाय तो उसका डेवेलपमेंट का अर्थ निकाला जा सकता है । लेकिन वह इस बात को मानेंगे कि आज का युग स्ट्रेच करके मतलब निकालने का नहीं है । सीधे मतलब का है । जब स्ट्रेच करके मतलब निकाला जाता है तो न्यायालय उसको उलट देता है । इसका सीधा मतलब निकले, उसको स्ट्रेच न किया जाये, इसीलिये इसकी जरूरत हुई ।

एनर्जी कमीशन की बाबत उन्होंने कहा । शायद उनका उद्देश्य एनर्जी प्लानिंग कमेटी से है जिसको कि प्लानिंग कमीशन ने श्री एम०

एस० ठाकर की अध्यक्षता में गठित किया था। उस कमेटी ने कोल सेंटर की बाबत सात रेक्मेंडेशन्स दी थीं जोकि मूलतः मंजूर कर ली गई हैं और उनपर अमल किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त नेशनलाइजेशन, वर्कर्स रिप्रेजेन्टेशन और डिवैलपमेंट-सैस के बारे में कहा गया है। वर्कर्स रिप्रेजेन्टेशन के बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने निर्णय कर लिया है कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में वर्कर्स का एक प्रतिनिधि होगा। हम जो बोर्ड्स बना रहे हैं उसमें कोशिश कर रहे हैं कि वर्कर्स का एक एक प्रतिनिधि लें।

नेशनलाइजेशन की जो बात उन्होंने कही तो यह अमलगमेशन और एक्वीजीशन उसका पहला चरण है।

श्री शिव चन्द्र झा : आप जानते हैं कि काम्पिटीटिव एकोनामी जब मानोपली स्टेज में आती है तो जो पूंजीपति है वह खुद एमलगमेशन करता है। और आप खुद यहां निजी मिल्कियत में एमलगमेशन करने जा रहे हैं। इसके जरिये आप हकीकत में मानोपोलिस्ट्स पैदा कर रहे हैं बहुत ही खूंख्वार। इसलिये दोनों एकही चीजें हैं-ऐसी बात नहीं है। इसलिये हकीकत में आप चाहते हैं कि लार्ज स्केल पर संचालन हो तो आपको राष्ट्रीयकरण करना होगा। निजी मिल्कियत में एमलगमेशन बड़ा खतरनाक होता है।

श्री नीति राज सिंह चौधरी : वालन्ट्री एक्वीजीशन की नीति सफल नहीं हुई है। इसलिये एमलगमेशन जरूरी है ताकि छोटी छोटी खदानों के बीच की जो जमीन होती है जिसमें बहुत सा कोल वेस्ट जाता है उसको उपयोग में लाया जा सके। उसको निकालने के लिये आवश्यकता है कि इनको एमलगमेट किया जाये और सारा का सारा कोल निकाला जाये। इसके लिये एमलगमेशन आवश्यक है और उसको हम कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ, जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है मैं उनका बड़ा आभारी हूं और यह विश्वास करता हूं कि सदन इस बिल को पास करेगा।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : एन सी डी सी की जो वर्किंग है, उसमें जो लास हो रहा है उसको रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री नीति राज सिंह चौधरी : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि एन सी डी सी में प्राफिट हुआ है।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill further to amend the Coal Mines (Conservation and Safety) Act, 1952, be taken into consideration."

The motion was adopted

MR. CHAIRMAN : Now we will take up clause by clause consideration. There are no amendments to clauses 2 to 8. I will put them together. The question is :

"That clauses 2 to 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clauses 2 to 8 were added to the Bill

Clause 9—(Amendment of Section 12)

MR. CHAIRMAN : There are some amendments by Shri Shiv Chandra Jha. Is he moving them ?

SHRI SHIV CHANDRA JHA : Yes, Sir. I beg to move :

Page 2, lines 43 and 44,—

for "the owners, agents or managers of coal mines"

substitute—

"State Governments and local authorities" (1).

[Shri Shiv Chandra Jha]

Page 3, line 5,—

after "or" insert "exploration," (2).

Page 3, lines 9 and 10,—

omit "and owners, agents or managers of coal mines" (3).

सभापति जी, जो बातें मैंने कही थीं उनको जरा तफसील में संशोधन के जरिए आपके सामने रखना चाहता हूं। इस विधेयक के जरिए खास तौर से खान मालिकों को मदद कर रहे हैं—इस तरह की बातें आ रही हैं। मेरा पहला संशोधन है कि क्लाज 9 में 1-ए (बी) में जहां लिखा हुआ है :

> "(b) The grant of stowing materials and other assistance for stowing operations to the owners, agents or managers of coal mines".

उसमें

> "owners, agents or managers of coal mines"

की जगह पर

> "State Governments and local authorities"

कर दिया जाये।

और वह इसलिये कर दिया जाये क्योंकि इसमें रिसर्च की बात भी कही है :

> 'the grant to State Governments, research organisations, local authorities and owners, agents or managers of coal mines...'

तो स्टेट गवर्नमेन्ट्स और लोकल एथारिटीज के माध्यम से ही किया जाये क्योंकि वह आपका ही एक अंग है। खराबियां वहां भी हैं, मैं मानता हूं लेकिन आप साफ तौर से ओनर्स, एजेन्ट्स आर मैनेजर्स आफ कोल माईन्स को देने जा रहे हैं जिसमें कि बड़ी धांधली होगी। इसलिये मेरा पहला संशोधन तो यह है कि ओनर्स, एजेन्ट्स आर मैनेजर्स आफ माइन्स की जगह पर स्टेट गवर्नमेन्ट्स ऐंड लोकल एथारिटीज कर दिया जाये।

इसके बाद इसी क्लाज में तीसरे पेज पर (डी) में आप ने कहा है :

> 'the prosecution of research work connected with safety in coal mines or conservation and utilisation of coal.'

यह बातें जब आप कहते हैं तो उसमें मैं चाहूंगा कि शब्द "आर" के बाद और कन्जर्वेशन के पहले शब्द "एक्स्प्लोरेशन" और बढ़ा दिया जाये। इस भारत की धरती में अभी भी कितना ही कोल का भंडार अनटेप्ड है, अनएक्स्प्लायटेड है। इस सिलसिले में आप काम कर रहे हैं और आगे और ज्यादा आपको करना होगा। इसलिये जब आप इसमें—साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें शब्द एक्स्प्लोरेशन को और जोड़ दीजिए। इसकी वजह से आप पर कोई बोझ पड़ने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसमें एक्स्प्लोरेशन का काम भी किया जाये कि इस धरती के नीचे और कितना कोल है क्योंकि एक समय ऐसा भी आ सकता है जैसे कि इस समय ब्रिटेन के सामने समस्या है। उनकी माइन्स खत्म हो रही हैं इसलिए उनको किसी दूसरी ताकत के रास्ते पर ज्यादा सोचना पड़ रहा है। उसी तरह से यहां भी एक समय आ सकता है जबकि भूगर्भ का कोयला खत्म हो जाये। हो सकता है सौ साल के बाद वह बात आये। इसलिये कम से कम जितना हमारे यहां है उसको तो एक्स्प्लोर किया जाये। इसीलिए मेरा यह संशोधन है कि एक्स्प्लोरेशन को उसमें जोड़ दिया जाये।

फिर (एफ) में जो आप कहते हैं :

> 'the grant to State Governments, research organisations, local authorities and owners, agents or managers of coal mines.....'

इसमें मैं चाहूंगा ओनर्स, एजेन्ट्स आर मैनेजर्स आफ लोकल माइन्स को निकाल दिया जाये। जब आप स्टेट गवर्नमेन्ट्स को, रिसर्च आर्गेनाइजेशन्स और लोकल एथारिटीज को दे रहे हैं तो फिर कोल माइन्स के जो ओनर्स, एजेंट्स या मैनेजर्स हैं मुनाफाखोर उनको इसमें स्पष्ट रूप से लाने की क्या जरूरत है? यही मेरे संशोधन हैं, मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इनको स्वीकार कर लें।

श्री नीति राज सिंह चौधरी : सभापति, महोदय, इन संशोधनों में जो संशोधन नं० 2 है जिसमें एक्स्प्लोरेशन की बात कही गई है, मैं उसका उत्तर पहले देता हूं क्योंकि संशोधन नं० 1 और 3 एक से हैं इसलिए मैं उनको बाद में साथ ही ले लूंगा।

जहां तक एक्स्प्लोरेशन का सम्बन्ध है, उस काम को जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया करता है। अगर इसको यहां भी कर दें तो उससे डुप्लीकेशन हो जायेगा। एक ही चीज को करने वाले दो हो जायेंगे जिससे उसके कार्य संचालन में संघर्ष और पैसे का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को प्रेस न करें क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

जहां तक पहले और तीसरे संशोधन का सम्बन्ध है इनमें कहा गया है ओनर्स, एजेन्ट्स आर मैनेजर्स आफ कोल माइन्स—इन शब्दों को निकाल दिया जाये। आज जो परिस्थिति है उसमें कार्य-संचालन जिनके हाथ में है उन्हीं से खाद्यानों के विकास का काम कराना पड़ता है। यदि स्टेट गवर्नमेन्ट्स के जरिए से इस काम को किया जायेगा तो उसके लिए उनको एक नया आर्गेनाइजेशन खड़ा करना पड़ेगा और इस तरह से जितना पैसा है, जैसा कि त्यागी जी ने कहा है, वह अफसरों की फौज के वेतन में ही खर्च हो जायेगा। इसलिये आज की परिस्थिति में डेवलपमेन्ट के लिए आवश्यक है कि जो भी माध्यम है उसी से विकास कराने का प्रयास किया जाये। मैं यहां पर यह आश्वासन दे सकता हूं कि यथासाध्य इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होने दिया जायेगा। प्रयास यही होगा कि जिस काम के लिये यह पैसा है उसी काम में उसको लगाया जाये। (इति)

श्री शिव चन्द्र झा : सभापति जी, मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन नं० 1 को सेप्रेटली लिया जाये।

MR. CHAIRMAN : The question is :

Page 2, lines 43 and 44,—

for "the owners, agents or managers of coal mines"

substitute—

"State Governments and local authorities" (1).

Those in favour will please say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS: 'Aye'.

MR. CHAIRMAN: Those against will please say 'No'.

SEVERAL HON. MEMBERS: 'No'.

MR. CHAIRMAN: I think, the 'Noes' have it.

SHRI SHIV CHANDRA JHA: The 'Ayes' have it.

MR. CHAIRMAN: All right; those in favour may please rise in their seats.

श्री शिवचन्द्र झा : जो तरीका है डिवीजन का उसको मानना चाहिये।

सभापति महोदय : हम दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग श्री झा के संशोधन के पक्ष में हों वह खड़े हो जायें।

श्री शिवचन्द्र झा : यह कौन सा तरीका है ?

सभापति महोदय : मैंने कहा कि मैं दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकता हूं ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं इसका विरोध करता हूं ।

Shri Shiva Chandra Jha then left the House.

सभापति महोदय : जो इस संशोधन के पक्ष में हों वह खड़े हो जायें ...कोई नहीं ?

जो माननीय सदस्य इस संशोधन के विरुद्ध हों वह खड़े हो जायें ।

I find a large number of hon. Members standing against it. The amendment is lost.

Amendment No. 1 was negatived.

MR. CHAIRMAN : Now I am putting amendments Nos. 2 and 3 to the vote of the House.

Amendments No. 2 and 3 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clause 10 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: Sir, I move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill be passed."

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय मित्र श्री शिव चन्द्र झा ने, जो अब यहां नहीं हैं, चले गये हैं, प्रथम वाचन के समय कहा था कि जितने कोल माइन ओनर्स हैं वे अपने मुनाफे का कोई भाग माडर्नाइजेशन पर खर्च नहीं करते । मैं कोल माइन ओनर्स के इस हक को मानता हूं कि वे अपने मुनाफे का कोई अंश माडर्नाइजेशन पर खर्च करें या न करें । यह उनका अधिकार है । लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता कि जो पैसा सरकार की ओर से उन्हें किसी खास काम के लिये दिया जाता है जैसे उन माइन्स को बन्द करने के लिये जिनसे कोयला निकाला जा चुका है, उनमें बालू भरने के लिये, उसका उपयोग वे उस काम के लिये न करें ।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जहां तक माइन्स की सेफ्टी का प्रश्न है वह लेबर मिनिस्ट्री के अन्तर्गत आता है । लेकिन सेफ्टी दो तरह की होती है । एक तो माइन्स के भीतर काम करने वाले मजदूरों की । दूसरे, माइन्स के ऊपर जमीन होती है, उस पर खेती होती है, उस पर गांव हैं, शहर भी हैं उनकी सेफ्टी भी हमें देखनी होगी । हमें देखना है कि कोल माइन्स पर जो गांव और शहर बसे हुये हैं वे सुरक्षित हैं या नहीं । मुझे पता नहीं यह सेफ्टी लेबर मिनिस्ट्री के अन्तर्गत आती है या इस मंत्रालय के ।

आपने देखा होगा कि कोयला खानों की एरिया में जगह जगह पर जमीनें धस जाती हैं क्योंकि कानून से खानों को छोड़ने के बाद उनमें बालू भरने का जो नियम है वह कड़ाई से पालन नहीं किया जाता । ऐसी जगहें होती हैं जहां पर पहले खेत थे, गांव थे लेकिन अब वह जगह खेती के लायक नहीं रही । गांव धंस गये हैं या गांव वहां से हटा दिये गये हैं ।

इस सिलसिले में मैं झरिया शहर के सम्बन्ध में आप से कुछ कहना चाहता हूं । शायद 1967 के नवम्बर महीने में मैंने एक प्रश्न पूछा था और आधे घंटे की चर्चा भी उठायी

थी । उसमें मैंने कहा था कि झरिया शहर के नीचे खानों के अन्दर जिस तरह से वर्किंग होती है उससे शहर को भारी खतरा है । कई जगह सड़क धंस गई थी, कई मकान क्रैक हो गये थे । लोगों को रात में नींद नहीं आती थी । डाइनमाइट के धड़ाके रात में होते थे । उस वक्त श्री हाथी श्रम विभाग के मंत्री थे । वे और मैं वहां गये । वहां पर उसे समझौता तो नहीं कहना चाहिये, लेकिन मेरे और उनके बीच में कुछ निश्चय हुये थे जिसके अनुसार उन्होंने एक हिदायत दी थी कि कम से कम झरिया शहर की सेफ्टी के लिये खान मालिक रात में डाइनमाइट का उपयोग नहीं करेंगे, और न रात में कोई धड़ाका ही करेंगे । दिन में भी अगर धड़ाका करेंगे तो वह एक बार ही करेंगे। साथ साथ सैंड स्टोइंग की भी बात थी । लेकिन उसके बाद भी वह काम नहीं हुआ । जब माननीय श्री भागवत झा आजाद हमारी लेबर मिनिस्ट्री में आये उस समय भी मैंने उनको पत्र लिखा था कि मुझको झरिया से जो समाचार मिले हैं, उससे मन में आशंका होती है कि किसी समय झरिया शहर धंस सकता है । लेकिन मुझको कहते हुये अफसोस होता है कि कोल बोर्ड हो या कोल मिनिस्ट्री हो, मैं नहीं कहता कि यह लेबर का मामला है श्री हाथी ने जिन शर्तों पर कहा था कि कोल माइन ओनर्स काम करेंगे उन शर्तों पर काम नहीं हो रहा है । मुझसे प्राइवेटली यह भी कहा गया कि चूंकि वहां बहुत सी वैलुएबल मैटलर्जिकल चीजें हैं इसलिये उस कोयले को निकालना जरूरी है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मनुष्य जीवन की कीमत उस कोयले की कीमत से कम है ? इस आश्वासन के बावजूद उन खानों में नियम के मुताबिक काम नहीं हो रहा है । मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि झरिया निवासियों की जो शिकायत है कि वह रात में सो नहीं सकते, दिन में चैन से रह नहीं सकते हैं, कम से कम उनको इस चिन्ता से मुक्त किया जाये अभी अभी यहां बहुत सी भ्रष्टाचार की बातें हुई हैं । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना है कि मंत्री महोदय के आश्वासन के बावजूद, उनके इंस्ट्रक्शन के बावजूद, उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से जांच करें कि जो आश्वासन श्री हाथी ने दिया था उसके मुताबिक काम हुआ है या नहीं ।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं । डेवलपमेंट के नाम पर व्यापारियों को पैसे देने की बात कही जाती है । मैं इस चीज को मानता हूं कि व्यापारी जो मुनाफा कमाता है उसको वह जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करे । इसमें मुझको कोई ऐतराज नहीं । लेकिन जिस काम के लिये उसको पैसा दिया जाता है, अगर उस पर वह उसको खर्च नहीं करता तो यह देशद्रोह है । वह देश के साथ गद्दारी करता है । डेवलपमेंट के नाम पर व्यापारियों को जो पैसा दिया जाता है, सैंड स्टोइंग के नाम पर या पानी निकालने के नाम पर जो पैसा उनको दिया जाता है उसका दुरुपयोग होता है । जो पैसा डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है उसका दुरुपयोग न हो इस बारे में तो कम से कम मंत्री महोदय सदन को आश्वस्त करें तभी डेवलपमेंट फंड में से डेवलपमेंट के लिये पैसा दिया जाये । इसके बारे में जो संशोधन श्री शिव चन्द्र झा ने दिया है मैं उसके पक्ष में हूं । यह पैसा उन्हें न देकर डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट खुद करे या वह स्टेट गवर्नमेंट से कराये । लेकिन फिर इसमें भी खतरा तो है ही । इसकी पूरी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये, भले ही सरकारी अफसर उसको करें । व्यापारी लोग बहुत बदनाम हैं, इसलिये डेवलपमेंट के नाम पर किसी को भी पैसा न दिया जाये और यह काम स्वयं मंत्रालय अपने मातहत करे ।

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Mr. Chairman, Sir, I would just crave your

[Shri Indrajit Gupta]

indulgence to utter one warning before this Bill is adopted.

This Coal Board which has been in existence since 1952, that is to say, for the last 18 years, and which has been entrusted with the job of conservation and safety of coal mines has, first of all, to render an account as to whether it has performed this original function diligently and well before we can think of entrusting to it further developmental functions which is sought to be done by passing this Bill.

The only point which I want to raise is this. When this Coal Board has been in existence for all these years—I am addressing this particularly to the Ministry because they are concerned with that—every body knows the case of Haldia-Barauni oil pipe-line which was laid across a certain coal mine area as a result of which it was discovered that it was both dangerous for the pipe-line to be located near the coal mines and also, if it continued to be located, those coal mines themselves would not be able to function and that coal would not be mined there. I want to know what the Coal Board was doing during this time. Is it the sole function of the Labour Ministry under the Inspectorate of Mines? I do not know. I would like to know that. This Coal Board which is responsible for conservation and safety apparently knew nothing about the fact that for certain long periods, under the guidance of some so-called bogus foreign experts whom we paid crores of rupees, an expensive oil pipe-line was being laid across an area where there were coal mines which were being mined. We suspect the conspiracy also, because some of the coal-mine owners who are affected—I regret to say this—belong to a group whose Chairman, probably now, is Mr. A. K. Roy, who used to be the former Auditor General of this Government. He has now become Chairman of this group of collieries. They were not very much worried. They wanted that the pipeline should remain like that so that they could go to court and claim several crores of rupees worth of compensation because the coal mines are being ruined by the fact that this pipeline is being laid.

And so, the Government and the people of this country were faced with this particular dilemma: If the pipeline has to be realigned, a new alignment has to be made and that will cost us several crores of rupees extra. If on the other hand the pipeline is not realigned they have to pay several crores of rupees worth of compensation to Mr. A. K. Roy's group of collieries. Such scandals have taken place in this country. I am not going into those details now. I will deal with such things later. I only wanted to say that before we entrust this Coal Board with additional functions and arrange to give them an amount of Rs. 14 crores per year, during the Fourth-Five Year Plan period as it is stated here in this Financial Memorandum, we must know exactly whether this is a responsible body, how it functions, what is the vigilance that it exercised, what was it doing, was it sleeping while this pipeline was being laid across this coalmine, etc.

Therefore, I wish to say this: It is all very well to support the general purpose of any Bill which seeks to aid and develop coalmine but the machinery by which this is sought to be done and the agency through which this is to be administered is something we have got no confidence on, and we hope that the Government will do something to streamline the whole machinery and the whole structure both of the Inspectorate of Mines, which is under Mr. Azad, as well as this Coal Board, to see that really something is done to conserve on coking coal as well as to develop the mines. But the history so far of this coal board, the record of this is a very dismal one and therefore it is that I wanted to sound a note of warning before we finally pass this Bill. Thank you.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): It is seething with corruption. The Mines Department is seething with corruption.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: Sir, about the points raised by Mr. Sharma, I would say, they refer mostly to Labour Ministry and luckily Mr. Azad is here and he has been hearing him and I hope he will take suitable action.

About the Coal Board, I may assure Mr. Gupta that we are not entrusting the job to the Coal Board which came into existence in 1952. We are completely streamlining changing,

reorganising, remodelling the entire organisation before entrusting this job to them. That is one point which I wished to say.

The Administrative Reforms Commission have also recommended that this Coal Board and the Coal Controller should be amalgamated and streamlined so that they become workable. All these things are being attended to. So, there will not be any occasion hereafter to say all those things. We are taking steps to do everything that is possible.

MR. CHAIRMAN : Now, the question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

18.4 hrs.

IRON ORE MINES LABOUR WELFARE CESS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : Sir, I beg to move* :

> "That the Bill further to amend the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN : This will be continued tomorrow.

The House stands adjourned to meet at 11 A.M. tomorrow.

18.5 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 10, 1970/ Kartika 19, 1892 (Saka).

*Moved with the recommendation of the President.